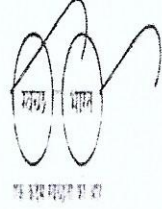




सं.ए.-20011/75/2020-हिन्दी /Hindi
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless



खंड-9, के.स.का .परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,

लोधी रोड ,नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3

दिनांक/Date:- 03/09/2025

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत कार्यालय को अधिसूचित करना ।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के 80% कार्मिकों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किये जाएँगे । समन्वय निदेशालय एवं इसके अधीन सभी पुलिस बेतार केन्द्रों को अधिसूचित किया जाना है । इस संदर्भ में समन्वय निदेशालय एवं सभी पुलिस बेतार केन्द्रों में कार्यरत सभी कार्मिकों के हिन्दी से संबंधित ज्ञान के आंकड़ें हिंदी अनुभाग द्वारा एकत्रित किये जा रहे हैं ।

अतः समन्वय निदेशालय के सभी अनुभाग एवं पुलिस बेतार केन्द्रों में कार्यरत कार्मिकों के हिंदी ज्ञान की जानकारी संलग्न प्रपत्र में भरकर दिनांक **30.09.2025** तक हिंदी अनुभाग को प्रेषित करने का श्रम करे ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

संलग्न :- प्रपत्र

आभिषेक यादव
03/09/2025
(अभिषेक यादव)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि.

1. निदेशक महोदय के निजी सचिव: कृपया सादर सूचनार्थ।
2. अपर निदेशक (मुख्यालय) महोदय के निजी सचिव: कृपया सादर सूचनार्थ।
3. अपर निदेशक (संचालन) महोदय के निजी सचिव: कृपया सादर सूचनार्थ।
4. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली ।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी ।
7. समस्त अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्र अधीक्षक ।
8. सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग -(वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।

हिंदी ज्ञान से संबंधित प्रपत्र

क्रम सं.	नाम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	मातृभाषा	हिंदी किस कक्षा तक पढ़ी है	दसवीं तक शिक्षा का माध्यम	किस पाठ्यक्रम तक हिंदी भाषा का प्रशिक्षण लिया है				टंकण/आशुलिपि कौनसा प्रशिक्षण प्राप्त किया है	क्या प्रवीणता प्राप्त है? (राजभाषा नियम 9 देखें)	क्या कार्यसाधक ज्ञान है इसकी घोषणा की है?
							प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	पारंगत	टंकण	आशुलिपि	
1													

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ की सभी उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है.

राजभाषा नियम 9

नाम एवं हस्ताक्षर

हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी ने-

- (a) मेट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या
- (b) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या
- (c) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।